E/pawar

कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा (छ0ग0)

Email- bemetara.court@nic.in, Phone no.07824-222210

–:: विविध आदेश ::–

बेमेतरा दिनांक 24.03.2020

क्रमांक–307/दो–12–1/2020

वैश्विक आपदा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के संबंध में माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश 40(Mis.)/II-14-1/2020 बिलासपुर, दिनांक 23.03.2020 के तारतम्य में निम्न आदेश किये जाते हैः–

(1) दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि में जिला न्यायालय बेमेतरा के सभी न्यायालयों तथा बाह्य न्यायालय साजा में सामान्य कार्यवाही स्थगित रहेगी। इस अवधि में अत्यावश्यक कार्य, जिसका निर्धारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा, ही न्यूनतम अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग से संपादित किये जायेंगे। इस स्थापना द्वारा जारी विविध आदेश दिनांक 23.03.2020 के अनुसार लंबित नियमित प्रकरणों में आगामी नियत तिथियां पूर्ववत् रहेंगी।

(2) जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अत्यावश्यक प्रकरणों का निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका दिनांक 16.03.2020 एवं अतिरिक्त मार्गदर्शिका दिनांकित 18.03.2020 के अनुसार किया जायेगा।

(3) दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि में न्यायालय में सामान्य तौर पर प्रस्तुत एवं दर्ज किये जाने वाले मामले, यथा सामान्य वाद, अभियोगपत्र, अंतरिम आवेदन, अपील, पुनरीक्षण इत्यादि ग्रहण नहीं किये जायेंगे।

(4) उक्त अवधि में जिला न्यायालय बेमेतरा एवं बाह्य न्यायालय साजा में सार्वजनिक अवकाश के दिनों की भांति कार्यवाही संचालित की जायेगी और उक्त अवधि में समस्त न्यायिक अधिकारीगण अपने घर से आवश्यकतानुसार कार्य का संपादन करेगें।

(5) उक्त अवधि में समस्त न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारीगण मुख्यालय में ही उपस्थित रहेंगें और जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचित किये जाने पर तत्काल कर्तव्य पर उपस्थित रहेगें। सभी न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण आवश्यक रूप से अपना मोबाईल चालू रखेंगे। उन्हें उक्त अवधि में न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा। जिन न्यायिक अधिकारी की ड्यूटी लगायी गयी हो, मात्र उक्त न्यायिक अधिकारी/कर्मचारियों को उपस्थित होना आवश्यक होगा।

(6) उक्त अवधि में अत्यावश्यक कार्य के संपादन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा द्वारा रिमाण्ड मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगायी जायेगी, जो सुविधानुसार न्यायालयीन समय में दो घण्टे के लिए न्यायालय में उपस्थित होकर सभी न्यायालयों/विशेष न्यायालयों से उद्भूत होने वाले रिमाण्ड कार्य का संपादन करेगें। उक्त कार्य में सहयोग हेतु उनका स्टॉफ भी उपस्थित रहेगा।

(7) दिनांक 24.03.2020 से 31.03.2020 तक धारा 438 एवं 439 दं.प्र.सं. के प्रस्तुत अथवा लंबित आवेदन की सुनवाई न्यायालय के सामान्य कामकाज प्रारंभ होने की तिथि पर की जावेगी। अत्यावश्यक सुनवाई योग्य मामला/आवेदन होने का निर्धारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वारा किया जावेगा और उनके निर्देशानुसार, संबंधित न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण द्वारा उक्त प्रकरण/आवेदन का निराकरण किया जावेगा।

(8) प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, जिला नाजिर एवं स्टाफ, आपसी सामंजस्य बनाते हुए उपरोक्त दिवसों के दौरान न्यायालय परिसर की साफ–सफाई एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।

24/03/2020

(आनंद कुमार सिंघल)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बेमेतरा (छ.ग.)

पृ.क्र.–308/दो–12–1/2020 बेमेतरा दिनांक 24.03.2020

<u>यथा आदेश प्रतिलिपि</u> :–

01. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा।
02. पुलिस अधीक्षक, जिला बेमेतरा।
03. न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेमेतरा।
04. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), बेमेतरा।
05. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (विशेष न्यायालय पाक्सो), बेमेतरा।
06. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेमेतरा।
07. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, बेमेतरा।
08. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, बेमेतरा।
09. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 साजा, जिला–बेमेतरा।
10. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा।
11. प्रभारी अधिकारी समस्त अनुभाग, बेमेतरा/साजा।
12. जिला/सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, बेमेतरा।
13. शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, बेमेतरा।
14. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, बेमेतरा/साजा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

24/3/2020

न्यायालय अधीक्षक
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बेमेतरा (छ.ग.)